

आदेश की
क्रम-संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. -40/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक जामताड़ा बनाम वाहन संख्या-WB37E-5409 एवं अन्य वाहन के चालक तथा मालिक

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के ज्ञापांक-38/अप0शा0, दिनांक-13.01.2025 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या-97/2024, दिनांक-14.01.2023 में जप्त तीनों ट्रकों WB37E-5409, NL01AA-6646 एवं UP53ET-8152 पर राजसात/अधिग्रहण की कार्रवाई किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद संख्या- W.P. (C) 6788 of 2023 में पारित आदेश दिनांक-22.07.2024 के द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017" के नियम (v) को Ultra vires घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त नियम के अन्तर्गत राजसात/अधिग्रहण वाद की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

अतः पक्षकार राजसात/अधिग्रहण वाद संचालन करने हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त,
जामताड़ा।



उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
By Magistrate
19.09.25